

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 227]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 27, 2016/माघ 7, 1937

No. 227]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 27, 2016/ MAGHA 7, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2016

का.आ. 256(अ).—केंद्रीय सरकार, पर्यावरण राहत निधि स्कीम, 2008 के पैरा 4 के उपपैरा (2) के साथ पठित लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (1991 का 6) की धारा 7क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की तारीख 13 जुलाई, 2015 की अधिसूचना जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. संख्यांक 1878 (अ), तारीख 13 जुलाई, 2015 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में "31 दिसंबर, 2015" अंकों और शब्दों के स्थान पर "31 मार्च, 2016" अंक और शब्द रखे जाएंगे।

> [फा. सं. 18-13/91-पीएल-एचएसएमडी] बिश्वनाथ सिन्हा, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. संख्यांक 1878(अ), तारीख 13 जुलाई, 2015 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।

421 GI/2016 (1)

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi, the 27th January, 2016

S.O. 256(E).—In exercise of the powers conferred under section 7A of the Public Liability Insurance Act, 1991 (6 of 1991), read with sub-paragraph (2) of paragraph 4 of the Environment Relief Fund Scheme, 2008, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change dated the 13th July, 2015 published in the Gazette of India, Extra ordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O. 1878(E), dated the 13th July, 2015, namely:—

In the said Notification, for the figures, letters and word "31st December, 2015", the figures, letters and word "31st March, 2016", shall be substituted.

[F. No. 18-13/91-PL-HSMD]

BISHWANATH SINHA, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 1878(E), dated the 13th July, 2015.